

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड(भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली
सहायक कंपनी)

नोट मुद्रण नगर, मैसूर 570 003. कर्नाटक

फोन: ईपीएबीएक्स लाइन्स - (0821)-2581905, 2582905, 2582915, 2581935, 2582935

फैक्स: (0821)-2582099 ई-मेल: mysorepress@brbnmpl.co.inवेबसाइट: www.brbnmpl.co.in

सामग्री प्रबंधन विभाग

आईएसओ
9001:2015 और
आईएसओ
14001: -2015
कंपनी

संचिका सं.

प्रपत्र क्रम सं.

जारी करने की तारीख

विक्रेता पंजीकरण के लिए विक्रेता पंजीकरण/ नवीनीकरण आवेदन फॉर्म (प्रपत्र)

(अहस्तांतरणीय)

महत्वपूर्ण

नोट

- 1 इस प्रपत्र पर स्वामी (मालिक)/ भागीदार/ निदेशक/ कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
- 2 अधूरे प्रपत्रों या आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त हुए प्रपत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3 किसी भी कंपनी को सूची में शामिल किए जाने का फैसला पूरी तरह से बीआरबीएनएमपीएल, मैसूर का होगा और बीआरबीएनएमपीएल किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4 हमें इस आवेदन पर काम शुरू करने के लिए सक्षम बनाने हेतु नवीनीकरण/नए पंजीकरण प्रपत्र, दोनों ही को बीआरबीएनएमपीएल के पक्ष में बने 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट, जो कि मैसूर में देय हो, के साथ भेजा जाना चाहिए।

सामान्य जानकारी

- क. सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ सभी मायनों में पूर्ण आवेदन पत्र जारी किए जाने के 90 दिनों के भीतर जरूर जमा कर दिए जाने चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- ख. पंजीकृत विक्रेताओं के आवेदनों की जांच करने के बाद बीआरबीएनएमपीएल द्वारा उन्हें सीधे सूचना भेजी जाएगी। ऐसे सभी विक्रेताओं को यूनिक वेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर (अनूठा विक्रेता पंजीकरण संख्या) आवंटित किया जाएगा जिसे उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सभी संवादों में हमेशा उद्धृत किया जाना चाहिए।
- ग. बीआरबीएनएमपीएल द्वारा की गई पंजीकरण की तिथि से विक्रेता पंजीकरण तीन वर्षों के लिए वैध होगा। वैधता के समाप्त होने पर जो पंजीकृत विक्रेता अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की इच्छा रखते हैं, उन्हें/ उनको, पंजीकरण के समाप्त होने की तारीख से पहले इसी प्रारूप में पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए।
- घ. पंजीकृत विक्रेता होने के लाभ: आवश्यकताओं के आधार पर बीआरबीएनएमपीएल पंजीकृत वस्तुओं से संबंधित पूछ-ताछ / सीमित निविदाओं को कूरियर/ डाक द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं को भेजेगा।

खुली निविदाओं के मामले में इसकी जानकारी पंजीकृत विक्रेताओं को दी जाएगी।

इच्छुक पंजीकृत विक्रेता निविदा में हिस्सेदारी के लिए ऐसी पूछ-ताछ पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

कृपया निम्नलिखित संलग्नों को देखें:

- 1 अनुबंध ए: विक्रेता पंजीकरण के लिए विक्रेता पंजीकरण/ नवीनीकरण आवेदन फॉर्म (प्रपत्र)
- 2 अनुबंध बी: वस्तुओं, वस्तुओं की श्रेणी सूची जिनके लिए पंजीकरण की मांग की गई है।
- 3 अनुबंध सी: निविदा के सामान्य नियम और शर्तें

पृष्ठों की कुल संख्या - 9 पृष्ठ

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड
(भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
नोट मुद्रण नगर, मैसूर 570 003. कर्नाटक
फोन: ईपीएबीएक्स लाइन्स - (0821)-2581905, 2582905, 2582915, 2581935, 2582935
फैक्स: (0821)-2582099 ई-मेल: mysorepress@brbnmpl.co.in
वेबसाइट: www.brbnmpl.co.in
सामग्री प्रबंधन विभाग

आईएसओ
9001:2015 और
आईएसओ
14001: -2015
कंपनी

संचिका सं.

प्रपत्र क्रम. सं.

जारी करने की तारीख

विक्रेता पंजीकरण के लिए विक्रेता पंजीकरण/ नवीनीकरण आवेदन फॉर्म (प्रपत्र)
(अहस्तांतरणीय)

आवेदन प्रपत्र:

क) नवीन विक्रेता पंजीकरण

ख) विक्रेता पंजीकरण का नवीनीकरण

मौजूदा विक्रेता पंजीकरण संख्या

(यदि पहले से ही पंजीकृत हों तो विक्रेता पंजीकरण संख्या लिखा जाना चाहिए)

(ऊपर दिए बॉक्स में कृपया सही का चिन्ह लगाए)

1.0 जिस श्रेणी की वस्तुओं के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता है उसका विवरण
(कृपया अनुबंध- बी से चुनें, अधिकतम 5 (पांच) श्रेणियों की अनुमति है)

सं.	वस्तु का विवरण	श्रेणी कोड
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

अन्य विवरण

1.1 सामान्य

फर्म/कंपनी का नाम
पता:

1.2 पंजीकृत कार्यालय:

एसटीडी कोड: ----- फोन नं. फैक्स नं.

ई-मेल वेबसाइट

1.3 शाखा/ फैक्ट्री/ उप- कार्यालय, यदि कोई हो, पते के साथ:

1.4 मालिक/ भागीदार/ निदेशक (जैसा भी मामल हो) का नाम और पता:

1.5 संपर्क व्यक्ति/ अधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम:

फोन नं. (कार्यालय)....., (आवास).....,

मोबाइल नं.,

1.6 कंपनी का दर्जा: मालिक/ भागीदारी/ पब्लिक लिमि. कंपनी/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/
संयुक्त क्षेत्र/ सहकारी समिति:

कृपया संलग्न करें:

क) लिमिटेड कंपनी के मामले में, निम्नलिखित की प्रमाणित प्रति:

I) संस्था के अंतर्नियम का ज्ञापन

ii) निगमन प्रमाणपत्र

ख) भागीदारी के मामले में:

I) भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति

ग) स्वामित्व/ संयुक्त क्षेत्र/ सहकारी समिति के मामले में:

I) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति

1.7 वैधानिक पंजीकरण (प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी हैं)

सी. एस. टी. सं.	स्थानीय एस. टी. /टीआईएन सं. (आपके राज्य की एस. टी. / वेट पंजीकरण सं.)	आबकारी पंजीकरण सं.	व्यापार लाइसेंस सं.
सेवा कर पंजीकरण सं. (जहां भी लागू हो)	जीएसटी पंजीकरण सं.	जीएसटी पंजीकरण प्रकार	
		1. नियमित 2. संयुक्त 3. उपभोक्ता 4. अपंजीकृत	

1.8 पैन संख्या

(प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी हैं)

1.9 क्या निर्माता/ अधिकृत थोक व्यापारी/ डीलर/ कारोबारी हैं

(निर्माता के नाम के साथ)

(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

2.0 विनिर्मित वस्तुओं का विवरण/ कारोबार की गयी/ प्रदान की गयी सेवाएं इत्यादि:

(पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल)

2.1 यदि सेवा ठेकेदार है तो

क्या आप पीएफ और ईएसआई दर्जे में पंजीकृत हैं?

(कृपया प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

2.1.1 दी जाने वाली सेवाओं का विवरण:

2.2 क्या एसएसआई हैं हां/ नहीं

आईएसओ मान्यताप्राप्त है हां/ नहीं

बीआईएस लाइसेंसधारी हैं

हां/ नहीं (कृपया इसकी एक प्रति संलग्न करें)

2.3 उद्योग का प्रकार:

लघु उद्योग [] मध्यम उद्योग [] बड़े उद्योग [] सरकारी []

ठेकेदार [] विक्रेता [] अर्ध सरकारी []

2.4 क्या एमएसएमई (MSME) के तहत पंजीकृत है? (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

सूक्ष्म लघु मध्यम

(यदि ऐसा है तो कृपया इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें, यदि कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक ऐसी किसी श्रेणी का नहीं है और तदनुसार आवेदन पर काम किया जाएगा)

2.5 क्या बीआरबीएनएमपीएल की अन्य प्रेस/ इकाईयों और/ या पीएसयू के साथ पंजीकृत है। यदि हां तो कृपया उसका नाम और पंजीकरण संख्या, वैधता और जिन श्रेणी की वस्तुओं के लिए पंजीकृत हैं, का नाम बताएं:

2.6 प्रमुख उपभोक्ताओं/ ग्राहकों के नाम:

2.7 यदि आप एक आयातक हैं, तो, आपके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के विवरण और आयात/ निर्यात कोड का विवरण:

3.0 वित्तीय स्थिति:

3.1 एमआईसीआर सं. के साथ आपके बैंकों के नाम और पता एवं खाता संख्या.

3.2 क्या आपने आरटीएस सुविधा का लाभ उठाया है, यदि हां तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें:

3.3 बीते 3 वर्षों का वार्षिक लेखा (अधिमानत: पूर्व लेखा परीक्षित)
(प्रतियां संलग्न की जानी है)

3.4 कर देने के बाद बीते 3 वर्षों का होने वाला शुद्ध लाभ:

3.5 बीते 3 वर्षों की निवल संपत्ति:

4 प्रभावित आपूर्तियों/ प्रतिष्ठित कंपनियों को प्रदान की गई सेवाएँ/ सरकारी संगठन के विवरण
(साक्ष्य के तौर पर इनकी प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी हैं)
(आवश्यकता हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें)

क्र. सं.	पी.ओ.सं. / डब्ल्यू.ओ.सं. और तारीख	आपूर्ति की गई सामग्री/ प्रदान की गई सेवाएं	मूल्य (रुपये में)

5 कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

6 डिमांड ड्राफ्ट सं. तारीख पर बनाया गया यहां विक्रेता पंजीकरण के लिए शुल्क के रूप में संलग्न है।

आवेदक द्वारा घोषणा

- a. प्रस्तुत दस्तावेज में दी गई जानकारी मेरे/ हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
- b. यदि जानकारी में विसंगति पाई जाती है तो बीआरबीएनएमपीएल पंजीकरण रद्द कर सकता है और जैसा भी उचित हो कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।
- c. मैं ऊपर उल्लेख किए गए विवरणों में किसी भी प्रकार के बदलाव होने पर आपको यथासंभव जल्द- से- जल्द सूचित करने का वचन भी देता हूँ।
- d. मैं/ हमने आपके अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों (जैसा संलग्न है) को पढ़ लिया है और बिना किसी भूल के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

तारीख

तारीख के साथ हस्ताक्षर

स्थान

नाम और पदनाम

कंपनी की मुहर

नोट: सभी प्रतियां स्वप्रमाणित की जानी हैं।

आंतरिक प्रयोग हेतु			
टिप्पणी और अनुशंसाएं:			
विक्रेता पंजीकरण सं.		पंजीकरण की तारीख	
प्रसंस्करण अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर		तक वैध	
ERP में प्रविष्टि की तारीख		प्रविष्टि करने वाले का नाम	

वस्तुओं की श्रेणी (आवेदन पत्र में विक्रेता द्वारा भरा जाने वाला श्रेणी कोड और विवरण)

श्रेणी कोड	विवरण
01	सुरक्षा मुद्रण और संबंधित मशीनरी
02	आयात एजेंट
03	ट्रायल प्रिंटिंग पेपर (टीपीपी)
04	बैंड रोल पेपर
05	सुरक्षा मुद्रण स्याही
06	ब्लंकट
07	ब्लेड और चाकू
08	मुद्रण उपभोज्य वस्तुएं
09	विशेष धातु
10	जल उपचार रसायन
11	सामान्य रसायन और प्रयोगशाला के कांच के सामान
12	स्नेहक, तेल और औद्योगिक आसंजक
13	हाईवेयर, पेंट और नलसाजी संबंधी वस्तुएं
14	बियरिंग्स
15	बनियान बिट्स, बेकार सूती कपड़े और कपड़े के टुकड़े
16	एचडीपीई बैग
17	लकड़ी के पैकिंग बक्स
18	स्टिकर्स, मुद्रित सामग्रियां
19	श्रिक फिल्म, पॉलीथीन की थैलियां आदि
20	ब्रश
21	रखरखाव संबंधी वस्तुएं -इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स
22	रखरखाव संबंधी वस्तुएं- मैकनिकल
23	रखरखाव संबंधी वस्तुएं- सिविल
24	वस्तु के रखरखाव संबंधी उपकरण
25	अग्नि शमन उपकरण
26	दूरसंचार उपकरण
27	एसी और रेफ्रिजरेटर
28	डीजी और कंप्रेसर
29	बिजली की वस्तुएं
30	कैंटीन और हाउस कीपिंग उपकरण
31	कार्यालय के उपकरण
32	तकनीकी फर्नीचर
33	सामान्य फर्नीचर
34	कंप्यूटर, प्रिंटर और कंप्यूटर से संबंधित अन्य वस्तुएं आदि
35	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
36	यूनिफॉर्म का कपड़ा
37	जूते और मोजे
38	पुलोवर (स्वेटर)
39	सिविल कॉन्ट्रैक्टर
40	काँफी और चाय प्रीमिक्स एवं वेंडिंग मशीन
41	परिवहन सेवाएं
42	श्रम ठेकेदार
43	सुरक्षा एजेंसी
44	स्कूप डीलर (कबाड़ी वाला)
45	कार्यालय स्टेशनरी
46	सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी वस्तुएं
47	इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन
48	रोलरों पर फिर से रबर लगाना
49	सामान्य ऑर्डरों के आपूर्तिकर्ता
50	विभिन्न प्रकार की वस्तुएं

निविदा के सामान्य नियम और शर्तें

1. बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत पूछताछ के मामले में प्रस्ताव अलग- अलग लिफाफे में प्रस्तुत किए गए हों जिनके लिफाफे के ऊपर सही संदर्भ संख्या और अंतिम तारीख लिखी गई हों।
2. अंतिम समय और तारीख के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदाओं के खोले जाने की तारीख के न्यूनतम नब्बे (90) दिनों की अवधि तक के लिए निविदा दर (कोटेशन) वैध होनी चाहिए।
4. निविदा/ पूछताछ के साथ भेजे गए आरेख, नमूने आदि को कोटेशन के साथ वापस करना होगा अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं भी किया जा सकता है।
5. उद्धृत मूल्य अंकों और शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए अन्यथा कोटेशन अस्वीकार किया जा सकता है। यदि अंकों और शब्दों में असमानता पाई जाती है तो शब्दों में लिखे मूल्य को सही माना जाएगा।
6. कीमतों को बीआरबीएनएमपीएल, मैसूर प्रेस के आधार पर होना चाहिए और इसे खरीद ऑर्डर के खिलाफ आपूर्तियों के पूरे होने तक बने रहना चाहिए।
7. बोलीकर्ताओं को मूल्य में शामिल अतिरिक्त/ सम्मिलित बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और अन्य लागू शुल्कों के बारे में बताना है। एक्साइज ड्यूटी के लिए दावा मूल प्रति के साथ एवं स्पष्ट एक्साइज ड्यूटी गेट पास के साथ होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता उस मामले में पड़ती है जब आपूर्तिकर्ता मूल्य वृद्धि का दावा करता है या बीआरबीएनएमपीएल कर के दर में बदलाव के कारण दर में कमी करना चाहता है।
8. यदि मियाद डीजीएसएंडडी दर अनुबंध पर कवर किया गया है तो इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि मूल्य डीजीएसएंडजी/ सरकारी विभागों पर लागू मूल्य के समान ही होगा। अनुबंध की एक प्रति देने के बावजूद डीजीएसएंडडी दर अनुबंध संदर्भ भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. यदि किसी भी प्रकार का पैकिंग, रख-रखाव, परिवहन आदि अतिरिक्त शुल्क लागू होता है तो अतिरिक्त धनराशि के बारे में प्रस्ताव में बताया जाना चाहिए, जहां कहीं भी संभव हो।
10. बीआरबीएनएमपीएल के पास निविदा या उसके हिस्से के लिए दिए गए कुल मूल्य प्रस्ताव का लाभ उठाने या बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. आपूर्तिकर्ता गंतव्य तक सामग्री को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगा और आपूर्तिकर्ता को उद्धृत दरों के भीतर पर्याप्त पारगमन बीमा की व्यवस्था करनी चाहिए।

12. भुगतान.

सामग्रियों की प्राप्ति, निरीक्षण और स्वीकृति के बाद सामान्य रूप से 100% भुगतान की शर्त है (यह सुरक्षा जमा, यदि हो तो, की कटौती और लागू करों के विषयाधीन है) इन शर्तों पर सहमत नहीं होने वाले प्रस्ताव अस्वीकृति के उत्तरदायी होंगे।

13. गोपनीयता

(i) बीआरबीएनएमपीएल द्वारा निर्माण और दूकानों में आपूर्ति के उद्देश्य से या उसके बारे में प्रदान की गई सभी जानकारी, सूचनाएं, तकनीकी आंकड़े, विनिर्देश और मॉडलों के रेखाचित्र या नमूने बीआरबीएनएमपीएल की संपत्ति हैं और आपूर्तिकर्ता उन्हें बेहद गोपनीयता के साथ रखेगा और बिना अधिकार प्राप्त किए एवं बीआरबीएनएमपीएल के उद्देश्यों के लिए वह इन्हें किसी अन्य को नहीं बताएगा। ऐसे सभी दस्तावेज, आंकड़े, आरेख, मॉडल और नमूने बीआरबीएनएमपीएल की संपत्ति हैं और बीआरबीएनएमपीएल द्वारा मांग की जाने पर उन्हें वापस करना होगा।

(ii) आपूर्तिकर्ता बीआरबीएनएमपीएल के आलावा किसी भी अन्य को बीआरबीएनएमपीएल द्वारा दिए गए सामग्रियों के ऑर्डर की आपूर्ति नहीं करेगा और बीआरबीएनएमपीएल की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी अन्य को किसी भी प्रकार की प्रगति, विकास या अनुकूलन का खुलासा नहीं करेगा।

(iii) बीआरबीएनएमपीएल उपरोक्त के उल्लंघन और उल्लंघन की वजह से होने वाले नुकसान को रोकने का हकदार होगा।

14. **वारंटी:** सामग्री, कारीगरी, आयामों आदि में दोष के खिलाफ वारंटी वास्तविक प्रयोग की तारीख से 12 माह की अवधि तक या आपूर्ति किए जाने की तारीख से 18 माह की अवधि तक, जो भी कम हो, की होनी चाहिए। हमारे प्रेस में दोषपूर्ण वस्तुओं को मुफ्त में बदला जाना चाहिए।
15. थोक आपूर्तियों को प्रभावित करने से पहले नमूनों की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। जब आरेख/ विनिर्देशों की पुष्टि के लिए कोटेशन मांगे जाएं, तो प्रस्ताव को विशिष्ट आरेख/ विनिर्देशों के अनुरूप ही होना चाहिए। जब तक कि विशेष रूप से बताया नहीं जाता तब तक किसी भी प्रकार के नमूने को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
16. जब निविदाओं के साथ नमूनों की मांग की जाती है, तो उन्हें चिन्हित और लेबल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें निविदा की वस्तु के साथ संबद्ध किया जा सके। उन्हें निविदा के पते पर ही भेजा जाना चाहिए और निविदा खोले जाने की तारीख तक वे पहुंच जाएं इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के उत्तरदायी होंगे।
17. यदि बोलीकर्ता अस्वीकृत नमूनों को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें निविदा प्रपत्र में इस बारे में जरूर उल्लेख करना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर खरीददार द्वारा नमूनों को रख लिया जाएगा। अस्वीकृत नमूनों को स्थानीय कंपनियों द्वारा एकत्र किया जाएगा और बाहर की कंपनियों को प्रति यात्री रेल "देय भाड़ा" के अनुसार वापस किया जाएगा। कंपनी किसी भी प्रकार से नमूने को उसकी मूल स्थिति में वापस करने की जिम्मेदार नहीं होगी।
18. **विनिर्देशों, पैटर्न और आरेखों में बदलाव:** बीआरबीएनएमपीएल के पास समय-समय पर विनिर्देशों, पैटर्न और आरेखों एवं खरीददार द्वारा निर्दिष्ट तारीख में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। वस्तुएं विनिर्देशों, पैटर्न और आरेख के अनुरूप होंगी इसलिए ऐसे किसी भी प्रकार के बदलाव जिसमें लागत और उत्पादन के लिए आवश्यक अवधि में बढ़ोतरी या कमी शामिल है, वैसे मामलों में जहां परिवर्तन आपसी सहमति के साथ किया हो, अनुबंध मूल्य और डिलिवरी के लिए निर्धारित समय में संशोधन वस्तुओं के संबंध में किया जाएगा।

19. स्वदेशी वस्तुओं के मामले में, बोलीकर्ताओं को प्रासंगिक कॉलम में यह दर्शाना होगा कि प्रस्तावित सामग्री कुटीर या लघु उद्योग का उत्पाद है या फैक्ट्री का उत्पाद।
20. जब आपूर्ति के लिए आयातित सामग्री का प्रस्ताव दिया जा रहा हो तो निर्माता का नाम, ब्रांड और मूल देश का उल्लेख कोटेशन में जरूर किया जाना चाहिए।
21. उद्धृत वितरण अवधि को विशिष्ट और यथार्थवादी होना चाहिए। सफल बोलीकर्ताओं की वितरण कार्यक्रम के अनुसार ऑर्डर निष्पादित करने में असमर्थता, बीआरबीएनएमपीएल को खरीद ऑर्डर रद्द करने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और खर्च पर किसी अन्य दुकान से खरीद करने का अधिकार देगी। ऐसी विफलताओं को उनके आगामी कोटेशनों के दौरान भी ध्यान में रखा जाएगा।
22. **मूल्य परिवर्तन:**
एक नियम के तहत बोलीकर्ताओं को स्थिर और सर्व-समावेशी मूल्य उद्धृत करना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों जैसे करों में वैधानिक वृद्धि/ कमी (स्वदेशी आपूर्तियों के मामले में) और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क में वृद्धि/ कमी, समुद्री मालभाड़े में परिवर्तन आदि (आयातित आपूर्तियों के लिए) आदि में मूल्य परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है। यह कोटेशन के समय मूल्यों के ब्रेकअप के प्रस्तुतीकरण के विषयाधीन है बशर्तें ऐसे समायोजन स्वीकृत निविदा का हिस्सा हों।
23. **निविदाओं को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार:**

खरीददार सभी वस्तुओं, किसी भी एक वस्तु या एक वस्तु के हिस्से के संदर्भ में निविदाओं को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और इसलिए स्वीकृति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नोटिस मानी जाएगी। इसके बाद निविदा स्वीकृत मात्रा के लिए होगी जो अनुबंध बनाएगी।

24. सामानों की सुपुर्दगी:

क. किसी भी स्टेशन से प्रेषित एफ.ओ.आर. सामानों की सुपुर्दगी पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि गंतव्य स्टेशन पर सामान प्राप्त करने वाले द्वारा चालान में उल्लिखित मात्रा की जांच, गणना, वजन या माप नहीं कर लिया जाता। जब तक कि ऐसे सभी सामान नहीं प्राप्त कर लिए जाते तब तक सभी सामान प्रेषक की जोखिम पर होंगे और बीआरबीएनएमपीएल किसी भी संबंधित बीआरबीएनएमपीएल लॉरी रसीद या आपूर्तिकर्ता के चालान में उल्लिखित किसी भी संख्या, वजन या माप से बाध्य नहीं होगा।

ख. सभी सामान खरीद ऑर्डर में दिए गए निर्देशों के अनुसार गंतव्यों पर प्राप्त किए जाने के बाद निरीक्षण, माप और वजन किए जाने के विषयाधीन होंगे। निरीक्षण अधिकारी या खरीददार द्वारा निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति का, दी गई वस्तुओं की गुणवत्ता या मात्रा के संदर्भ में किया गया फैसला अंतिम माना जाएगा। निरीक्षण अधिकारी आपूर्ति किए गए कुछ सामान या पूरे सामान को खरीद आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार न पाने पर अस्वीकृत करने का अधिकारी है।

ग. उन मामलों में भी जहां प्रेषण से पहले वस्तु के निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी, वस्तु प्रेषणी या consignees वस्तु मिलने पर यदि वस्तु को अनुबंध के नियमों के अनुरूप नहीं पाता तो वह आपूर्ति किए गए वस्तुओं को अस्वीकृत करने का अधिकारी होगा।

25. **वस्तुओं का परीक्षण:** आपूर्तिकर्ताओं को, आपूर्ति की गई और आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई गई वस्तुओं के परीक्षण पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति बीआरबीएनएमपीएल को करनी होगी।

26. वस्तुओं के संप्रेषण की सूचना:

क. आपूर्तिकर्ता खरीद ऑर्डर में दी गई शर्तों के अनुसार जैसे ही दिए गए ऑर्डर के अनुसार वस्तुओं को सामान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भेजेंगे, वैसे ही भेजी गई वस्तु की सामग्री और मात्रा का पूरा विवरण, आर आर का संदर्भ या डाक रसीद और संबंधित आदेश संख्या और तारीख, की सूचना सामान प्रेषणी या consignees को भेजेंगे।

ख. सभी प्रेषित दस्तावेज यानि रेलवे की रसीद और चालान, वस्तु प्रेषणी या consignees को भेजी जानी चाहिए।

27. बिलों को तैयार करने में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश:

क. बिलों को स्याही से लिखा जाना चाहिए या वे विधिवत टाइप किए गए हों और उन्हें संबंधित लिफाफों पर "मूल" या

"प्रतिलिपि" के रूप में चिन्हित कर जमा किया जाना चाहिए। दरें अंकों और शब्दों दोनों में लिखी होनी चाहिए।

पेंसिल से लिखे गए या हस्ताक्षरित बिलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख. बिलों में आपूर्ति की गई वस्तुओं के नाम खरीद आदेश में दिए गए विवरणों और आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किए गए

कोटेशन के अनुसार ही लिखे होने चाहिए। यदि नाम, नामकरण, विवरण, विनिर्देशों आदि के आधार पर कोटेशन और

खरीद आदेश में कोई भी अंतर पाया जाता है तो, ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति करने से पहले स्पष्टिकरण

प्राप्त कर लेना चाहिए अन्यथा बीआरबीएनएमपीएल वस्तु के अस्वीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ग. बिलों के साथ-साथ अन्य इस संबंध में किए जाने वाले सभी पत्राचारों में वस्तु को प्राप्त करने वाले का नाम और

अन्य संदर्भ दिया होना चाहिए ताकि कागजों को एक दूसरे से संबद्ध किया जा सके और जल्द भुगतान की व्यवस्था हो सके।

28. **गैर-भुगतान के बारे में शिकायत:** आपूर्तिकर्ताओं को की गई आपूर्तियों के बिलों के गैर भुगतान के बारे में शिकायत करते समय वस्तु के विवरण और वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का गंतव्य जिसके पास वस्तु भेजी गई थी, खरीद आदेश संख्या और तारीख एवं प्रेषण विवरण आदि का हमेशा उल्लेख करना चाहिए ताकि उनके बिलों के जल्द निपटारे के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके।

29. अस्वीकृत वस्तुओं को हटाना:

क. स्थानीय कंपनियों अस्वीकरण पत्र जारी किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अस्वीकृत वस्तुओं को हटा लेंगी, ऐसा नहीं करने पर वस्तुओं के प्रति बीआरबीएनएमपीएल की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी और वस्तु

पूरी तरह से आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर होंगे और बीआरबीएनएमपीएल को बिना आपूर्तिकर्ताओं को बताए उनके जोखिम और उनकी तरफ से ऐसी वस्तुओं के निपटारे का अधिकार होगा।

ख. बाहर की कंपनियों की अस्वीकृत वस्तुएं, यदि अस्वीकरण पत्र जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर नहीं हटाए जाते हैं तो, उसके साथ ऊपर 28(ए) में उल्लिखित नियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

30. **गारंटी नियम:** आपूर्तिकर्ता गारंटी देता है कि वस्तुएं, जिसकी वह आपूर्ति करता है, पूरी तरह से विनिर्देशों के अनुरूप होगी और उचित तरीके से काम करेगी। सभी मामलों में, आपूर्तिकर्ता इस बात की गारंटी देता है कि उसका अभिकल्प (डिजाइन) प्रत्येक प्रकार के संदर्भ में अधिसूचित संशोधनों के साथ 'जैसा निर्मित है' के विस्तृत आरेखों का सख्ती से पालन करेगा। इसके अलावा आपूर्तिकर्ता यह भी गारंटी देता है कि वस्तुएं सामग्री और कारीगरी दोषों से मुक्त होगा बशर्ते इस संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी वस्तुओं को प्रदान करने और उसे लगाने या दोषपूर्ण कारीगरी या वस्तुओं के निर्माण में दोषपूर्ण अभिकल्प (डिजाइन) की वजह से खराब हुए हिस्सों को बदलने या मरम्मत/ बदलने का काम वह मुफ्त में करेगा। आयातित वस्तुओं के मामले में आपूर्तिकर्ता भारतीय बंदरगाहों पर अतिरिक्त पुर्जे भेजेगा जहां से खरीददार सीमा- शुल्क देकर वस्तु को निकासी दिलाएगा और अपने खर्च पर उन पुर्जों को स्वदेशी गंतव्य तक पहुंचाएगा। यदि आपूर्तिकर्ता चाहे तो भारत में उसका प्रतिनिधि, पुर्जों के प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर, निपटान के लिए प्रतिस्थापित किए जाने वाले पुर्जों को प्राप्त कर सकता है। इस अवधि के समाप्त होने पर, खरीददार पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा।

यहां गारंटी के तहत एक शर्त होगी कि किसी भी दोष/ शिकायत के पहली बार पता चलने के निश्चित समय सीमा के भीतर आपूर्तिकर्ता के संज्ञान में लाया जाएगा। यहां दी गई गारंटी ऐसे किसी भी सामग्री पर लागू नहीं होगी जिसे क्रेता द्वारा या उसकी तरफ से किसी और के द्वारा किसी भी प्रकार से मरम्मत या ठीक किया गया हो जिससे उसके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा हो या पुनरुद्धार किया गया हो या दुरुपयोग, लापरवाह या दुर्घटना के कारण उसके किसी हिस्से में दोष आ गया हो।

यहां दी गई गारंटी वस्तु के प्रत्येक सामान के संदर्भ में उसके दिए जाने की तारीख से 18 महीने के बाद या काम शुरू करने की तारीख से 12 महीने के बाद, जो भी पहले हो, उस तारीख के समाप्त होने से पहले आपूर्तिकर्ता को दोष के बारे में सूचित करने के सिवा, समाप्त हो जाएगी।

इस गारंटी के तहत खरीददार द्वारा ऐसे सभी प्रतिस्थापनों और मरम्मतों के लिए आपूर्तिकर्ता को बुलाया जाएगा और आपूर्तिकर्ता बिना किसी आपत्ति के तत्काल और संतोषजनक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

यहां दी गई वस्तुओं या किसी भी सामग्री के खरीददार द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी अनुमोदन या स्वीकरण किसी भी प्रकार से यहां दी गई आपूर्तिकर्ता के दायित्वों को सीमित नहीं करेगा।

इस गारंटी के तहत आपूर्तिकर्ता की देयता के संदर्भ में खरीददार का फैसला अंतिम और निर्णायक होगा।

31. **मध्यस्थता:** यदि एलओआई/ खरीद ऑर्डर के बाद और परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई विवाद पैदा होता है, जिसके पैदा होने के 30 दिनों के भीतर सुलझाया नहीं जा सका हो तो उन विवादों को बीआरबीएनएमपीएल के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। इस संबंध में लागू कानून पंचाट और समझौता अधिनियम, 1996 होगा। मध्यस्थता स्थल मैसूर होगा। इसके अलावा भी यदि कोई विवाद होता है, जो किसी भी समय पैदा हो सकता है, सिर्फ मैसूर न्यायसीमा के विषयाधीन होगा।

32. **कानून अधिकार- क्षेत्र:** हमारे द्वारा दिए गए किसी भी खरीद ऑर्डर से पैदा होने वाले किसी भी विवाद पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ मैसूर/ बैंगलोर (कर्नाटक राज्य) की अदालत को होगा।

33. **अप्रत्याशित घटना उपनियम:**

1. अन्य नियमों के तहत क्रय आदेश निर्धारित करने के अधिकारों के अलावा बीआरबीएनएमपीएल के पास कंपनी की इच्छा से आपूर्तिकर्ता को लिखित में किसी भी समय उचित समय के भीतर सूचना देकर अपनी देयता समाप्त करने का अधिकार होगा और सूचना की अवधि समाप्त होने पर पी.ओ. निर्धारण समाप्ति तारीख पर पक्षों को दिए गए अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाएगा।
2. इसके अलावा, बीआरबीएनएमपीएल के नियंत्रण से बाहर किसी भी स्थिति से पैदा हुई परिस्थिति या किसी कार्य की वजह से पैदा हुई स्थिति, जिसकी वजह से उत्पादन को रोकना पड़ा हो, या कंपनी के हित में किसी नीतिगत फैसले के मामले में जो खरीद ऑर्डर को थोड़े समय के लिए बंद करना अनिवार्य बना सकता है, कंपनी आपूर्तिकर्ता को पर्याप्त समय का नोटिस देकर, समाप्ति तारीख पर पक्षों को दिए गए अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना क्रय आदेश तो समाप्त कर सकती है।

“किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा।”